

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 54/16.17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गोरेन्द्र कुंठ राव वा अंचल निरीक्षक श्री राजेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुठवा थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/80 दाग नं0 32 रकवा 10-05-01 किस्म पत्ती कृषि श्री सत्य नारायण हरिजन पिता श्री हरिजन साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री सत्य नारायण हरिजन को दिनांक..... समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अनांक

अंचल अधिकारी,
महागामा।

29.7.16

अभिलेख उपस्थापित।

सत्यनारायण हरिजन के चीन हरिजन के पुत्र गेन्द्र रविदास उपस्थापित अक्षर प्राप्त होने संबंधी अनुबंध पदाधिकारी के Rent fixation संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है अभिलेख दिनांक 4-8-16 के हल्का कर्मचारी स्वयं जांच प्र प्रतिवेदन अगली तिथि के पूर्व दे कि प्रश्न-गत प्रतीत किया है या नहीं।

sandha

अनांक


अनांक
अनांक
अनांक

3
01/01/18

अभिलेख उपस्थापित। सत्य मातायां हरिन के नीचे हरिन
नी जो से अन्य कोडें बनाकर अनुपस्थित। घोरासीय पता 0
अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 11/01/18 को करें।

31/01/18

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।


अंशुभा
महागामा

20/06/19


अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस-नामिका प्राप्त
नहीं किया गया।

विपरीत की ओर से दायिरी

अंशुभा
महागामा


31/07/2020

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

अंशुभा
महागामा


18.08.2021


अभिलेख उपस्थापित।
कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया है।
कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि
दिनांक 26.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी
के न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजात के साथ
उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
महागामा

31/8/2021

अभिलेख उपस्थापित।


हाजरी पट्टी, जमीन के संबंधित
कागजात की दृष्टि से दी गई है अभिलेख फिलॉस
31/8/2021 को रखें।



अंचल अधिकारी
महागामा

31.08.2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक - सह प्रभारी अंचल निरीक्षक
महागामा से प्रश्नगत भूमि का जॉच प्रतिवेदन
प्राप्त हुआ है। जिसका अवलोकन किया।
प्रतिवेदनानुसार अवैध। सैटेलाइट पंजी II
रैफ्त को भूमि मौजा - बलुआ थाना नं. - 692
के गैरमजदूआ खाता नं. - 24 के अंडर टाग
नं. - 32 का अंश रकबा 00-05-00 धूर जमीन
अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के वंडोवस्ती केश
नं. - 228/1965-66 के माध्यम से सत्पनारायण
हरिजन पिता - चीन्य हरिजन को प्राप्त हुआ
है। वर्तमान में सत्पनारायण हरिजन की मृत्यु हो
गयी है। प्रश्नगत भूमि पर सत्पनारायण हरिजन के
वंशजों का मकानमय सदन के रूप में देखल है।
अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित 
अंचल अधिकारी,
महागामा।


अंचल अधिकारी,
महागामा।